राजीव गांधी राजकीय महाविधालय चौड़ा मैदान शिमला-171004 के छात्र निधि लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग- 1

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित पैरो के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/90

1	पैरा 8	अनिर्णीत	
2	पैरा 13(2) मूल प्रतिवेदन में पैरा संख्या 13 दर्शाई गई हैं। अत: पैरा सं. 13	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91

1	पैरा 11	अनिर्णीत	
2	पैरा 13	निर्णीत	₹600 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/93

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
4	पैरा 25	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/93 से 03/97

1	पैरा 7	निर्णीत	₹1944 चालान संख्या 57 दिनांक 19.01.2018 को जमा करवाये जाने के उपरांत।
2	पैरा 10 (घ),(ड़),(च),(झ), (ठ) से ड),(ध),(न),(प),(ब),(भ),(व),(म) से (म)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	निर्णीत	₹878 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
4	पैरा 12	अनिर्णीत	

5	पैरा 13 (क)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
6	पैरा 13 (ख)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
7	पैरा 13 (ग)	निर्णीत	₹408/- की राशि संबन्धित निधि में दिनांक 18.01.2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
8	पैरा 13 (घ) से (ड़)	निर्णीत	₹456 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
9	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14 (ग)	निर्णीत	₹509 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
11	पैरा 14 (घ)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
12	पैरा 14 (ड़)	निर्णीत	₹1000 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
13	पैरा 14(ज)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
14	पैरा 14(झ)	निर्णीत	₹1500 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
15	पैरा 14 (ञ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14 (ठ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 14 (ढ)	निर्णीत	₹600 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
18	पैरा 14 (त)	अनिर्णीत	
19	पैरा 15 (ख)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित करने के उपरांत।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6(1) , (2), (3), (5)	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9(1), (2), (3), (4)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/98 से 03/2001

1	पैरा 5(क),(ख), (ग)	अनिर्णीत	

2	पैरा 6(क),(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	अनिर्णीत	
4	पैरा 15(क),(ख), (ग) से (ड)	अनिर्णीत	
5	पैरा 16	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1	पैरा 4(ग)	निर्णीत	स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित की गई हैं।
2	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
3	पैरा 10(क)	निर्णीत	₹2985 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01.2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
4	पैरा 10(ख) से (ड)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	अनिर्णीत	
6	पैरा 12	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
7	पैरा 13(क) ,(ग), (घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 13(ड)(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 13(च)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14	अनिर्णीत	
11	पैरा 15	अनिर्णीत	
12	पैरा 17	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
13	पैरा 18	निर्णीत	₹1290 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01.2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
14	पैरा 20	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2006

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	₹3516 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01.2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।

3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 14	अनिर्णीत	
5	पैरा 16	अनिर्णीत	
6	पैरा 20	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
7	पैरा 21	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008

1	पैरा 4(ग)	निर्णीत	₹450 संबन्धित निधि में दिनांक 18.01 .2018 को संबन्धित बैंक खाता संख्या 3107 में जमा करवाये जाने के उपरांत।
2	पैरा 4(ङ)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
3	पैरा 4(च)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5	अनिर्णीत	
6	पैरा 6	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
11	पैरा 9(2)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
12	पैरा 9(3)	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
13	पैरा 10	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2011

1	पैरा 4(2)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
4	पैरा 8(1,2)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2014

1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की ₹21000 को दिनांक 16.08.2014 को प्रेषित किए जाने के उपरांत।
2	पैरा 4(2)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने

			के उपरांत।
3	पैरा 5	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।
4	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
8	पैरा 8	निर्णीत	₹2912 की वसूली वाऊचर संख्या 50/15 दिनाँक 10.08.2015 से करने के उपरांत।
9	पैरा 9(1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	अनिर्णीत	
13	पैरा 11	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
14	पैरा 12	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	निर्णीत	₹500 ब्याज की राशि की वसूली दिनाँक 18.01.2018 को करने एवं संबन्धित बैंक खाते में जमा करने के उपरांत
16	पैरा 14	अनिर्णीत	
17	पैरा 15	अनिर्णीत	
18	पैरा 16	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
19	पैरा 17	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
20	पैरा 18	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित करने के उपरांत।
21	पैरा 19	निर्णीत	अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए आवश्यक स्पष्टीकरण के आधार पर।

अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

दिनांक 1.4.14 को अनिर्णीत पैरा का प्रारम्भिक शेष	95
(–) अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए पैरे	43
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	16
दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तिम शेष	68

भाग– 2

2 वर्तमान लेखा परीक्षा

राजीव गांधी राजकीय महाविधालय, चौड़ा मैदान, शिमला–171004 के लेखा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों मे दिये गए हैं श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी और श्री रविंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 16.12.2017 से 22.01.2018 तक किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय

के लिए माह 06/2014, 06/2015 और 06/2016 एवं व्यय के लिए माह 10/2014, 08/2015 और 09/2016 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया हैं ।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	Dr. Uma Randev	01.04.2014 to 31.05.2015
2.	Dr. Raja Ram Chauhan	01.06.2015 to 31.12.2016
3.	Sh. P.C Kashyap (Officiating)	01.01.2017 to 07.02.2017
4.	Dr. Uma Verma	08.02.2017 to 10.04.2017
5.	Smt. Indu Shaunak (Officiating)	11.04.2017 to 08.05.2017
6.	Dr. Inderjeet Singh	09.05.2017 till date

3 लेखा परीक्षा शुल्क

राजीव गांधी राजकीय महाविधालय, चौड़ा मैदान, शिमला-171004 के लेखा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹24000.00 अनुभाग अधिकारी (ले॰प्र॰) के पत्र संख्या 38/2011 दिनांक 28.06.11 द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला-09 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**

(क) वर्ष **2014-15, 2015-16** और **2016-17** की वितीय स्थिति का विवरण छात्र निधिवार **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया हैं।

(ख) **बचत खातों में प्राप्त ब्याज ₹ 1450670.00 (वर्ष 2014-15 =₹406680.00 + वर्ष 2015-16 ₹470026.00+ वर्ष 2016-17 ₹573964.00) को आनुपातिक आधार पर छात्र निधियों के लेखों में आबंटित न करना :-**

छात्र निधियों की वितीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों के बचत खातों में अर्जित ब्याज **₹1450670.00 (वर्ष 2014-15 =₹406680.00 + वर्ष 2015-16 ₹470026.00+ वर्ष 2016-17 ₹573964.00)** को वितीय स्थिति में प्राप्ति कालम पर एक पृथक कालम में दर्शाया गया हैं। जबकि अर्जित ब्याज की राशि को आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित करके लेखांकित किया जाना अपेक्षित था। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे भी आपति उठाई गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

अतः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि **₹1450670.00 (वर्ष 2014-15 =₹406680.00 + वर्ष 2015-16 ₹470026.00+ वर्ष 2016-17 ₹573964.00**) को आनुपातिक आधार पर विभिन्न छात्र निधियों में आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में बचत खातों में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की राशियों को आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित करके संबधित रोकड़ बहियों में

लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जायें, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ग) दिनाँक 31.03.2017 को बैंक खातों के अन्तिम शेषों एवं वित्तीय स्थिति के अन्तिम शेषों में ₹12.96 लाख के अन्तर बारे।

संस्थान द्वारा प्रस्तुत विभिन्न निधियों की निधिवार वित्तीय स्थिति की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि बैंक खातों के दिनांक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष और वित्तीय स्थिति के अंतिम शेष के बीच **₹**1295670.48 का अन्तर था। इस अन्तर बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04/2018 दिनाँक 04.01.2018 से स्थिति स्पष्ट करने बारे निवेदन किया गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शिक्षा(अंकेक्षण)-2017-18-789 दिनांक 06.01.2018 से प्रधानाचार्य द्वारा सूचित किया गया कि इस अन्तर का मुख्य कारण सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित न किया जाना हैं। भविष्य में इस बारे में उचित कार्यवाही करके इस अन्तर को रोकड़ बही में समाहित करने का प्रयास किया जायेगा। अत: सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बैंक समाधान विवरणी का न बनाया जाना।

नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक खातों का रोकड़ बही से मिलान किया जाना अनिवार्य हैं। साथ इस संदर्भ में बैंक समाधान विवरणी का बनाया जाना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में रोकड़ बही एवं बैंक खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। अत: वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणिका न बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणिका बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) विभिन्न निधियों के दिनाँक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अंतिम शेषों व वित्तीय विवरणी के अंतिम शेषों में ₹10826827 के अन्तर बारे।

महाविधायल के द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई विभिन्न निधियों से संबन्धित वित्तीय विवरणी के दिनाँक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष और दिनाँक 31.03.2017 को रोकड़ बही में दर्शाये गए अंतिम शेष में ₹10826827.82 की राशि का अन्तर हैं। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"ख"** पर दिया गया हैं। इस अन्तर का मुख्य कारण विभिन्न निधियों से पूर्व वर्षो में किए गए सावधि निवेश में निवेशित राशि और अर्जित ब्याज की राशि को संबन्धित निधि में लेखांकित न किया जाना था। इस संदर्भ में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2014 के अंकेक्षण पैरा सं. 4(2) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी और अन्तर के बारे में उचित छानबीन करने बारे निर्देश दिये गए थे परंतु इस संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अत: वर्तमान में इस अन्तर के संदर्भ में उचित छानबीन की जाए साथ ही छानबीन के उपरांत इस अन्तर को लेखों में समायोजित किए जाने बारे आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 सावधि जमा

(क) सावधि जमा में निवेशित राशि का वर्ष बार विवरण इस संलग्न **परिशिष्ट-"ग"** पर दिया गया हैं। संस्थान द्धारा प्रस्तुत सावधि जमा विवरण की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया

D:\Audit Reports (LAD) for Website 2017-18\Govt. Colleges Audit Reports\Shimla\Fund\GDC Kotshera, Shimla Period 4-14 to 3-17.doc

कि दिनाँक 31.03.2017 को 1,20,91839 सावधि जमा में निवेशित थी। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। अत: सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनाँक 31.03.2017 तक सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की ₹14.36 लाख को निधियों की रोकड़ बही मे लेखांकित न किए जाने बारे।

अंकेक्षण में जाँच में पाया गया की अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक सावधि जमा में निवेशित जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की राशि **₹1435959 (विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट में किया गया है)** को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था । सावधि जमा में निवेशित राशि के खातों में अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना एक गंभीर वितीय अनियमितता हैं। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनो मे भी इस संदर्भ में आपति उठाई गई थी, परन्तु वर्तमान समय तक इस संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अत: सावधि जमा में निवेशित राशि के खातों में अर्जित ब्याज की राशियों को रोकड़ बही में लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जायें, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ग) सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बही के प्रारम्भिक / अन्तिम शेषों में सम्मिलित न करना

छात्र निधियों की विभिन्न रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि सावधि जमा में निवेशित राशि को संबन्धित रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक / अन्तिम शेषों में सम्मिलित नहीं किया गया था । इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनो मे भी आपति उठाई गई थी परन्तु इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अत: सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक / अन्तिम शेषों में सम्मिलित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक / अन्तिम शेषों में सम्मिलित/ लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जायें, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

6. छात्रों से विभिन्न निधियों एवं फीस की ₹ 1.83 लाख की कम वसूली करने बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(8)1/2001 Dated: 01.06.2010 के अनुसार विधार्थियों से Physics Fund और Chemistry Fund इत्यादि निधियों की वसूली ₹240 प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से की जानी आपेक्षित थी। महाविधालय के विधार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों से संबन्धित अभिलेखों जैसे कि फ़ंड कलेक्शन रजिस्टर, रोकड़ बही इत्यादि की जाँच करने पर पाया गया कि इन निधियों के संबंध में विधार्थियों से ₹180 प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से वसूली की गई थी। इस प्रकार कुल ₹183420.00 की कम वसूली की गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2018 दिनाँक 15.01.2018 द्वारा महाविधालय के प्रधानाचार्य से विधार्थियों से निम्न निधियों की कम वसूली के संदर्भ में आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। जिस बारे

प्रधानाचार्य द्वारा पत्र संख्या शिक्षा (अंकेक्षण)-2017-18- 811 दिनाक 15.01.2018 द्वारा सूचित किया गया कि कम वसूली गई ₹**183420** की वसूली के संदर्भ में संस्थान द्वारा शीघ्र प्रयास किए जाएगें और अनुपालना से शीघ्र अवगत करवाया जाएगा। अत: विधार्थियों से कम वसूली गई उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके संबन्धित निधियों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही छात्रों से निधियों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

छात्रों से कम वसूली गई ₹183420.00 की राशि का विवरण

Name of Funds	Period	No. of Student	Admissible Rate of Fees (Per Year)	Total Amount Fund due from Students	Actual Amount of Fees taken from Students	Less Receipt of Funds
Physics Fund	2014-15	449	240	107760	80820	26940
Chemistry Fund	2014-15	443	240	106320	79740	26580
Physics Fund	2015-16	512	240	122880	92160	30720
Chemistry Fund	2015-16	512	240	122880	92160	30720
Physics Fund	2016-17	534	240	128160	96120	32040
Chemistry Fund	2016-17	607	240	145680	109260	36420
					Total	**₹183420**

7. विलम्ब प्रवेश शुल्क ₹2810 की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या EDN-A-Kha (8)1/2001 dated 1.06.2010 के अनुसार छात्रों द्वारा विलम्ब से प्रवेश लेने की स्थिति में ₹10 की दर से प्रति छात्र वसूली की जानी आपेक्षित थी। विधार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों से संबन्धित अभिलेखों जैसे कि फ़ंड कलेक्शन रजिस्टर, रोकड़ बही इत्यादि की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा विलम्ब से प्रवेश लेने की स्थिति में छात्रो से ₹2810 की वसूली नही की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है। अत: विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्रो से ₹2810 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा ₹2810 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Session/ Period	No. of Students from late fees has not realized	Rate of late fees per students	Amount of Late fees not Received
2014-15	281	10/-	2810.00

D:\Audit Reports (LAD) for Website 2017-18\Govt. Colleges Audit Reports\Shimla\Fund\GDC Kotshera, Shimla Period 4-14 to 3-17.doc

8 **अमलगामटेड फ़ंड**

(i) कालेज कंटिजेंसी खर्चे हेतु अमलगामटेड फ़ंड से अनाधिकृत हंस्तांतरण

अमलगामटेड फ़ंड की रोकड़ बही की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कालेज कंटिजेंसी खर्चे जैसे की बिजली बिल, दूरभाष बिल, पानी बिल इत्यादि हेतु अमलगामटेड फ़ंड मे से अवधि 04/2014 से 03/2017 के दौरान विभिन्न कार्य दिवसों को ₹1514919 का ऋण लिया गया था। यद्यपि यह ऋण राजकीय कोष से वसूल करके संबन्धित निधि में वापिस जमा करवाया जा चुका था। ऋण लेने और वापिसी का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"घ"** पर दिया गया हैं। परन्तु इस प्रकार के ऋण हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक हैं, परंतु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, इस प्रकार की कोई अनुमति अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं थी। सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना, अमलगामटेड फ़ंड मे से ऋण लिया जाना अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी हैं। अत: अनुमति लिए बिना ऋण लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, एवं लिए गए ऋण के संबन्ध मे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाये एवं अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ii) भुगतान से पूर्व व्यय अभिलेखों को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित न किए जाने बारे।

नियमानुसार निधि से विभिन्न व्ययों का भुगतान करने से पूर्व संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा व्यय से संबन्धित सभी अभिलेखों जैसे कि बिल/वाऊचर इत्यादि को सत्यापित किया जायेगा। उसके उपरांत ही बिल/वाऊचर का भुगतान किया जायेगा। अंकेक्षण निधियों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट-"ङ"** में दिये गए व्ययों वाऊचरों को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। भुगतान से पूर्व व्ययों वाऊचरों को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाए, और वर्तमान में इन सभी व्यय वाऊचरों को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में सभी प्रकार के व्यय वाऊचरों को भुगतान से पूर्व संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) छात्रों को प्रदान की गई Refreshment के सम्बन्ध में ₹10225 का अधिक भुगतान।

वाऊचर संख्या 95/16 दिनांक 27.09.2016, रोकड़ बही पृ.सं. 237 ₹17250

उपरोक्त वाऊचर से ₹17250 का भुगतान श्री प्रमोद ठाकुर, कैंटीन संचालक को दिनांक 29.07.2016 को प्रधानाचार्य महोदय के भाषण के दौरान छात्रों को Refreshment प्रदान करने बारे में Refreshment Bill 690 छात्र @25/- प्रति छात्र की दर से किया गया था। अंकेक्षण में इस Refreshment Bill की पड़ताल करने पर पाया गया कि Refreshment Bill के साथ संलग्न की गई छात्र की सूची में केवल 281 छात्रों की उपस्थिति दर्शाई गई थी। जिससे प्रतीत होता हैं कि Refreshment केवल 281 छात्रों को प्रदान की गई थी। इस प्रकार Refreshment व्यय हेतु ₹10225 का अधिक भुगतान किया गया । अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अत: इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके संबन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

भुगतान जो किया गया

690 छात्र @25/- पर छात्र ₹17250.00

उपस्थित छात्रों की संख्या 281 (संलग्न सूची अनुसार)

भुगतान जो किया जाना था

281 छात्र @25/- ₹7025.00

अधिक भुगतान ₹10225.00

9. हि॰ प्र॰ विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त आय के भुगतान बारे

हि॰ प्र॰ विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क/स्थानांतरण शुल्क, खेल कूद फीस, युवा कल्याण शुल्क, विश्वविद्यालय अवकाश गृह शुल्क व परीक्षा शुल्क छात्रों से वसूल किए जा रहे हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में केवल उनही प्राप्तियों का भुगतान किया जा रहा हैं जिन विधार्थियों द्वारा परीक्षा फार्म परीक्षा में बैठने के लिए भरे गए थे तथा शेष विधार्थियों जिन्होने परीक्षा में बैठने के लिए फार्म नहीं भरे थे उन छात्रों से विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष विश्वविद्यालय के पक्ष मे प्राप्त शुल्क संचय होकर दिनांक 31.03.2017 तक महाविद्यालय के खातों में निम्न राशि जमा थी ।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का नाम	राशि
1	पंजीकरण शुल्क/स्थानांतरण शुल्क	243866.00
2	कंटीन्युशन शुल्क	173078.00
3	खेल कूद फीस	128985.00
4	युवा कल्याण शुल्क	314666.00
5	विश्वविद्यालय अवकाश गृह शुल्क	23872.00
6	परीक्षा शुल्क	187066.00
	कुल	**₹1071533.00**

अत: उपरोक्त शुल्को को हि॰ प्र॰ विश्वविद्यालय को न भेजने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में विश्वविद्याल के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायें, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

10. मुद्रण का कार्य हि॰प्र॰ सरकारी मुद्रणालय से न करवा कर खुले बाज़ार से करवाए जाने बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं॰ 4-23/90-मुद्रण दिनांक 16.11.1990, 27.11.2001 एवं 02.08.2002 द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों/ विभागों, स्वायत संस्थाओं को निर्देश दिये गए थे कि अपने कार्यालयों से संबन्धित समस्त मुद्रण कार्य हि॰प्र॰ सरकारी मुद्रणालय से करवाना अनिवार्य हैं । यदि राजकीय मुद्रणालय किन्ही अपरिहार्य कारणों से मुद्रण कार्य करने में असमर्थ हो तो हि॰ प्र॰ मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु संलग्न **परिशिष्ट-च** में वर्णित मामलों में कालेज प्रशासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अनदेखी करके मुद्रण कार्य खुले बाज़ार से करवाया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जायें एवं भविष्य मे उपरोक्त निर्देशों की पालना की जाये और समस्त मुद्रण कार्य हि॰प्र॰ सरकारी मुद्रणालय से करवाया जाये व अनुपालना से इस विभाग का शीघ्र सूचित किया जाये।

11. पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर का रख रखाव न करना:-

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में ₹977401 जमा थी । परंतु कालेज प्रशासन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किये जाने के परिणाम स्वरूप यह मालूम नहीं किया जा सका कि उक्त निधि में जमा राशि, किन-किन छात्रों द्वारा जमा करवाई गई थी या वर्षवार जमा राशि कि क्या स्थिति थी, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग हि॰प्र॰ के पत्र सं0 ईडीएन-एच(8)बी(4)28/08-बजट –लिब॰ दिनांक 26.03.2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कालेज छोड़ने के दो वर्षो के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति कि राशि वापिस लेने हेतु आवेदन नहीं करता तो उसकी पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा जब्त राशि का प्रयोग कालेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जाएगा। परन्तु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किये जाने के कारण यह जाँच नहीं की जा सकी कि किस किस छात्र की पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त की जानी चाहिए थी । अत: पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व गत वर्षों का पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर तुरंत तैयार किया जाये और पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र में दिये निर्देशों अनुसार उपयोग में लाया जायें व अनुपालना से इस विभाग का शीघ्र सूचित किया जाये।

12. विभिन्न निधियों से विभिन्न उद्देश्यों हेतु आहरित अग्रिमों से शेष बची अग्रिम राशि ₹0.61 लाख को संबन्धित निधि में देरी से जमा करवाए जाने बारे।

निधियों से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान किए गए थे। अग्रिमों से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि समायोजन के उपरांत शेष बची राशि ₹60779 को संबन्धित निधियों में देरी से जमा करवाया जा रहा था। देरी से समायोजित एवं शेष रहे अग्रिम की राशि को संबन्धित निधि में देरी से जमा करवाए जाने का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"छ"** पर दिया गया हैं। अत: देरी से समायोजित एवं शेष रहे अग्रिम की उक्त राशि को देरी से जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए इसके साथ ही भविष्य में देरी से समायोजित एवं शेष रहे अग्रिम की राशि को देरी से जमा करवाए जाने पर प्रचलित दर से दण्ड ब्याज सहित वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13.(i) **CCTV की खरीद में VAT के रूप में ₹0.44 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।**

वाउचर न॰ 83/14 Dt.15.10.2014 के माध्यम से M/s Kailash District Co-Operative Marketing & Consumer Fed. Ltd. से सीसीटीवी इत्यादि सामान क्रय किया गया था और उक्त फर्म को ₹577065 का भुगतान किया गया। फर्म के बिल संख्या 009585 दिनांक 15.10.2014 पर शर्त **" Rate are inclusive of VAT @5% against "D" Form**" वर्णित की गई थी। **इस शर्त के** के अनुसार सामान की खरीद पर 5% की दर से VAT लगाया जाना था। बिल की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि सामान के मूल्य पर 13.75% की दर से VAT लगाया गया था। जबकि बिल पर वर्णित शर्त के अनुसार VAT की दर 5% होनी चाहिए थी। नियमानुसार Against "D" Form VAT की दर 5% होनी चाहिए थी। अधिक VAT की दर लगाए जाने के कारण उक्त फर्म को ₹44390 का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैं। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2018 दिनांक 16.01.2018 से प्रधानाचार्य से

आवश्यक जानकारी माँगी गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या EDN/RGDC/Local Audit-815 Dt. 18.01.2018 से सूचित किया गया कि फर्म को किए गए अधिक भुगतान को वापिस किए जाने बारे आवश्यक पत्राचार किया जा रहा हैं। अत: VAT के रूप में ₹44390 के अधिक भुगतान की वसूली उक्त फर्म/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

भुगतान जो किया गया	
सामान का मूल्य VAT रहित	507310.00
VAT की दर 13.75%	69755.00
भुगतान की गई राशि	₹577065.00
भुगतान जो किया जाना चाहिए था।	
सामान का मूल्य VAT रहित	507310.00
VAT की दर 5%	25365.00
भुगतान योग्य राशि	₹532675.00
अधिक भुगतान की गई राशि (577065.00 – 532675.00)	**₹44390.00**

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त CCTV इत्यादि खरीदने से पूर्व आवश्यक औपचारिकताओं जैसे कि खुले बाज़ार से निविदायें आमंत्रित किया जाना इत्यादि को पूर्ण नहीं किया गया। अत: सामान को खरीदने से पूर्व खुले बाज़ार से निविदायें आमंत्रित न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए ।

14. कोल निधि को अनाधिकृत रूप से संचालित किए जाने बारे।

अंकेक्षण में छात्रों से एकत्रित विभिन्न निधियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विद्यालय के छात्रों से पूर्व के वर्षों में कोल निधि शीर्षक के अंतर्गत राशि वसूल की गई थी। यद्यपि वर्तमान में इस शीर्षक के अंतर्गत छात्रों से कोई वसूली नहीं की जा रही हैं। दिनाँक 31.03.2017 को इस निधि में ₹36831 शेष थी। इस राशि को Amalgamated Fund में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। इस संदर्भ में अंकेक्षण दलों द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस संदर्भ में आपत्ति दर्ज की गई थी। परंतु वर्तमान समय तक इस शीर्षक के अतर्गत शेष राशि को Amalgamated Fund में हस्तांतरित किए जाने बारे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अत: इस शीर्षक के अंतर्गत शेष राशि को Amalgamated Fund में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सरकारी प्राप्तियों का राजकीय कोषागार से मिलान न किया जाना।

लेखा परीक्षा अवधि में महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्तियों जैसे कि प्रवेश शुल्क, विलम्ब शुल्क एवं ट्यूशन शुल्क छात्रों से प्राप्त की गई थी। परंतु इस सम्बन्ध में राजकीय कोषागार से जमा करवाई राशियों के सम्बन्ध में राजकीय कोषागार से मिलान नहीं किया गया था। जिसके अभाव में सरकारी कोष में सम्पूर्ण राशि जमा करने बारे में पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: सरकारी कोष के साथ मिलान न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी सरकारी प्राप्तियों जोकि राजकीय कोष में समय-समय पर जमा करवाई गई हैं के संदर्भ में मिलान कोषागार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

D:\Audit Reports (LAD) for Website 2017-18\Govt. Colleges Audit Reports\Shimla\Fund\GDC Kotshera, Shimla Period 4-14 to 3-17.doc

16. (क) विभिन्न निधियों से खरीदे गए सामान का लेखांकन संबन्धित स्टॉक रजिस्टरों में नियमानुसार न किया जाना

नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि मद अनुसार की जानी अपेक्षित हैं। अंकेक्षण में विभिन्न निधियों से क्रय किए विभिन्न सामान से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि क्रय किए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में क्रय बिल के अनुसार की जा रही थी। इस प्रकार निधियों से क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार नहीं की गई थी। अत: नियमानुसार सामान का लेखांकन संबन्धित स्टॉक रजिस्टरों में न किए जाने को न्यायोचित ठहराया साथ ही भविष्य में निधियों से क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) निधियों से क्रय किए सामान की संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किया जाना

अंकेक्षण में विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। इन सभी व्ययों का विवरण निम्न दिया गया हैं। क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में किया जाने से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से कोई इंकार नहीं किया जा सकता । अत: निधियों से क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

वाऊचर संख्या /दिनाँक	निधि का विवरण	राशि	विवरण
81/16 दि. 08.09.2016	Magazine Fund	29100.00	P/o 3000 Nos. Identity Card from New Era Graphics Bill No. 546 Dt. 10.07.2016. Items entered in SR P-15 but not issued to Students till date.
77/16 दि. 06/09/2016	House Exam Fund	4759.00	P/o Photostate Paper 25Rim,Ball Pen 48,Desk Knife 1 Bill No. 2366 Dt. 31.08.2016
08/16 दि.19.09.2016	Library Security Fund	224843.00	P/o Different Books
11/14 दि.16.10.2014	Library Security Fund	4350.00	P/o Indian Journal of Management, Current Science, Indian Literature, Yogana (Hind & English) Kurukshetra.
22/15 दि. 07.08.2015	Library Security Fund	8350.00	P/o Indian Journal of Management, Current Science, Indian Literature, Yogana (Hind & English) Kurukshetra.
58/15 दि. 08/2015	Computer IT Facility	10865.00	P/o Wireless Router TP-Link -2 LAN Cable CAT-6 25mtr. RJ-45 Connector, Installation Charges Bill No. 1466 Dt. 13.07.2015
47/15 दि. 08/2015	A/F	2304.00	P/o Books for Library Bill NO. 3574 Dt. 22.06.2015
56/15 दी.	Scout & Guide	88500.00	P/o Musical Instruments Bill No. 1030 Dt. 17.08.2015

06.08.2015	Fund		
83/14 दी.15.10.2014	A/F	577065.00	P/o CCTV items Bill No. 00985 Dt.15.10.2014

17. भण्डार का भौतिक सत्यापन न किया जाना

नियमानुसार प्रत्येक शिक्षण संस्था के मुखिया द्वारा विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित सामान का प्रति वर्ष कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करना अपेक्षित हैं । विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टरों की पड़ताल में पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान किसी भी वर्ष के लिए संस्था के मुखिया द्वारा स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अत: उपरोक्त नियम की अवहेलना करके स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. विभिन्न निधियों से किए गए भुगतानों के संदर्भ में भुगतान प्राप्ति की रसीद इत्यादि प्राप्त न किया जाना।

स्काउट एंड गाइड फ़ंड एवं अन्य निधियों की रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि निधियों मे से निम्न राशियाँ का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया गया था। परंतु भुगतान की गई राशियों की पावती/रसीदें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव मे भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं हो पाई। अत: संबन्धित रसीदें शीघ्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

वाउचर सं॰	निधि का विवरण	(₹) राशि	जिसे भुगतान की गई
11/14 Dt. 16.10.2014	Library Security Fund	4350.00	P/T Poonam Bhardwaj, Librarian for further payment for Subscription of Indian Journal of Management, Current Science, Indian Literature, Yogana (Hind & English) Kurukshetra.
22/15 Dt. 07.08.2015	Library Security Fund	8350.00	P/T Poonam Bhardwaj, Librarian for further payment for Subscription of Indian Journal of Management, Current Science, Indian Literature, Yogana (Hind & English) Kurukshetra.
Nil Dt. 08/2015	Scout & Guide Fund	233445.00	The Commissioner Scout & Guide Shimla.

19. स्काउट एवं गाइड फंड से ₹102900 का अनुचित व्यय:-

वाऊचर संख्या 56/15 दिनाँक 06.08.2015 ₹88500 तथा वाऊचर संख्या 61/15 दिनाँक 06.08.2015 ₹14400 का भुगतान निम्न सामान की खरीद हेतु किया गया था। इस सामान की खरीद निधि पर उचित प्रभार नहीं हैं। अत: इस चूक बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

बिल संख्या 1030 दिनांक 17.08.2015

Yamaha PSR-1455 Digital Key Board Complete	25000.00
Scale Charger Harmonium	28500.00
Tabla Heavy Brass	8500.00
Dholak Special Sheesham Wood	6500.00
Octopad Rock Star	20000.00
Total	88500.00

बिल संख्या ICC-963 दिनांक 20.08.2015

Printer M1005 MFP	14400.00

20. लघु आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं कि गई हैं लघु अपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

21. निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की अवश्यकता हैं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– वित्त (ले0प0)मु0 (2) 15 (11)(i) 186/88 खण्ड–5–4578–4579 दिनांक 02.07.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. प्राचार्य, राजीव गाँधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला–171004 जिला शिमला, (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881